श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड–249199
Sri Dev Suman Uttrakhand Vishwavidhyala Badshhithaul, Tehri Garhwal, Uttrakhand-249199

DATE 06/08/2025

Ref. No 2712 /SDSUV/2025

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक,
समस्त सम्बद्ध श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड,विश्वविद्यालय,
टिहरी गढ़वाल।

विषयः– विषम सेमेस्टर वर्ष 2025–26 हेतु प्रवेश में कक्षोन्नती (Promotion) नियम विषयक।

महोदय,

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त राजकीय /अशाकीय /महाविद्यालयों एवं स्ववित्त शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि सत्र् 2025–26 के स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर स्तर के तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश/सेमेस्टर शुल्क जमा करने हेतु समर्थ पोर्टल पर दिनांक 06.08.2025 से 20.08.2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

➢ तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश व शुल्क हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

➢ **कक्षोन्नति (Promotion)**

- विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर से अगले सम सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा,चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।
- विद्यार्थी ने तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अनुमति निम्न शर्तो पर प्रदान करना सुनिश्चित करें।
  1. यदि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में कुल आवश्यक **(Required)** क्रेडिटस् का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट (23 क्रेडिट)के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षों (वर्तमान वर्ष क अतिरिक्त) के लिये आवश्यक **(Required)**सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा **Qualifying Papers** (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेड्टिस उत्तीर्ण कर लिये हों।
  2. 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बादर के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।
  3. उपरोक्त बिन्दु के क्रम में नॉन एन0ई0पी0 पाठ्यक्रमों में भी प्रोन्नत नियमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

अतः समस्त प्राचार्यों/निदेशक उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें साथ ही किसी भी समस्या हेतु विश्वविद्यालय से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1.निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3.सहायक परीक्षा नियंत्रक (मुख्य)/व्या0।
4.सहायक कुलसचिव वित्त/प्रशा0।
5.कार्यालयप्रति।

कुलसचिव